

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3919]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940

No. 3919]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5098(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अक्तूबर, 2018 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) और उप-धारा (12) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/4/2016-सीएल. I]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

**S.O. 5098(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> October, 2018 as the date on which the provisions of sub-sections (1) and (12) of Section 132 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/4/2016-CL-I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.